

30/8/22

पत्रावली पेडा हुई। आज अभिभाषक सघ द्वारा
कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 19/9/22 को पेडा हो। h

19.9.22

पत्रावली पेडा हुई। वकील पत्रका (क 340) को
वकील वादी को तलवाना सम्मन पेडा करे लु
फई अवसर दिये गये। उसके बावजूद भी
तलवाना सम्मन पेडा नहीं किये गये। अतः
वादी का वाड ऑडर-9-R-5 में रवारिज किया
जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दर्जनवा
से कम हो। आदेश खुले - यात्रालय में
सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

